संख्या- 01/2024/001-228-के.एन.पी.-/26-3-2024

प्रेषक,

नन्द किशोर शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग लखनऊ: दिनांक 30 अप्रैल, 2024

विषय: सचिवालय स्तर पर समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ में कार्यरत कर्मचारियों के अधिष्ठान व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में प्राविधानित धनराशि को व्यय हेतु निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में।

महोदय,

वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/ 2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सचिवालय स्तर पर समाज कल्याण विभाग के अधीन गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ में कार्यरत कर्मचारियों के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-80-लेखाशीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-793-अनुसूचित जाति की संघटक योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता-04-सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान के अन्तर्गत प्राविधानित कुल धनराशि रू0 40.80 लाख (रू0 चालीस लाख अस्सी हजार मात्र) को प्रस्तर-2 में अंकित लेखाशीर्षकवार/मदवार उल्लिखित विवरणानुसार आहरित कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. निर्वतन पर रखी जा रही उपर्युक्त धनराशि को व्यय करने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत अन्य आदेशों/निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जाय।
2. आवंटित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय नियंत्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून 1994 के निर्देशों का अनुपालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. स्वीकृत धनराशि प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में व्यय की जायेगी जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि का व्यय फाइनेशिंयल हैण्डबुक व वित्तीय नियम संग्रह एवं अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं के अनुरूप ही किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि के किसी मद से अन्तरण दूसरे मद में न किया जाय और यदि ऐसा करना अति आवश्यक हो तो उसका औचित्य स्पष्ट करते हुये शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त करते हुये ही की जाय।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा तथा आवश्यकता के अनुसार ही धनराशि का आहरण कोषागार से किया जायेगा।
6. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक माह शासन, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4 व महालेखाकार कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2225017930400 (सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	080	2225017930400 सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान	01 वेतन	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
2	080	2225017930400 सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान	03 मंहगाई भत्ता	11,00,000 (रुपये ग्यारह लाख मात्र)
3	080	2225017930400 सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान	06 अन्य भत्ते	1,10,000 (रुपये एक लाख दस हजार मात्र)
4	080	2225017930400 सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान	07 मानदेय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
5	080	2225017930400 सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	15,000 (रुपये पन्द्रह हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6	080	2225017930400 सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
7	080	2225017930400 सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान	45 अवकाश यात्रा व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
8	080	2225017930400 सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान	49 चिकित्सा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
9	080	2225017930400 सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान	51 वर्दी व्यय	15,000 (रुपये पन्द्रह हजार मात्र)
10	080	2225017930400 सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान	55 मकान किराया भत्ता	1,60,000 (रुपये एक लाख साठ हजार मात्र)
11	080	2225017930400 सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
	कुल			**40,80,000 (रुपये चालीस लाख अस्सी हजार मात्र)**
महायोग				**40,80,000 (रुपये चालीस लाख अस्सी हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

नन्द किशोर शर्मा
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 01/2024/001-228-के.एन.पी./26-3-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वतीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, समाज कल्याण विभागए उ0प्र0 शासन।
5. लेखा अनुभाग, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/समाज कल्याण अनुभाग-3/4, उ0प्र0 शासन।
7. सांख्यकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. एन.आई.सी. योजना भवन, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नन्द किशोर शर्मा
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।